

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

बी० ए० संख्या-41/2020

शिवू महतो याचिकाकर्ता
बनाम्
झारखण्ड राज्य विपक्षी पक्ष

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री रोंगन मुखोपाध्याय

याचिकाकर्ता के लिए: श्री संतोष कुमार, अधिवक्ता।

राज्य के लिए : ए०पी०पी०।

2/13.01.2020 पक्षों को सुना।

याचिकाकर्ता शिकायत आबकारी वाद संख्या-778 वर्ष 2019 के संबंध में एक आरोपी है।

याचिकाकर्ता के घर पर छापा मारा गया और 30 लीटर अवैध देशी शराब बरामद की गई। याचिकाकर्ता 29.11.2019 से हिरासत में है।

अपराध की प्रकृति और हिरासत की अवधि के संबंध में, याचिकाकर्ता, जिसका नाम ऊपर है, को 10,000/- रू० (दस हजार केवल) के बंधपत्र एवं समान राशि के दो सुनिश्चितता प्रस्तुत करने पर आबकारी मामला संख्या-778 वर्ष 2019 में विद्वान एस०डी०जे०एम०, रामगढ़ की संतुष्टि पर जमानत पर छोड़ने का निर्देश दिया जाता है।

(रोंगन मुखोपाध्याय, न्याया०)